पशुओं का परिवहन नियम, 1978

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 उपधारा (2) वाक्य (एच) में प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम, उक्त धारा के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित, बनाती है, यथाः

पशुओं का परिवहन नियम, 1978

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त शीर्षक

ये नियम पशुओं का परिवहन नियम, 1978 कहलाएंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा न जताए

(क) योग्यता प्राप्त पशु-चिकित्सक से तात्पर्य है - किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि या प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) धारी पशु-चिकित्सक।

(ख) अनुसूचि से तात्पर्य है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचि।

अध्याय - 2

कुत्ते, बिल्लियों का परिवहन

3. नियम क्रमांक 4 से 14 तक के नियम कुत्ते और बिल्लियों की सभी प्रजातियों के परिवहन पर लागू होंगे फिर चाहे वे रेलवे, सड़क, अभ्यांतर-जलमार्ग, समुद्रीमार्ग या हवाईमार्ग से परिवहन किए जाएं।

4. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ, अनुसूचि-ए मं निर्धारित प्रारूपवाला योग्यताप्राप्त पशु-चिकित्सक द्वारा जारी किया गया एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि कुत्ते और बिल्ली रेल्वे, सड़क, अभ्यांतर जलमार्ग, समुद्रीमार्ग या हवाईमार्ग से यात्रा करने योग्य है और उन्हें किसी प्रकार का सांसर्गिक रोग, संक्रामक रोग जिसमें रेबीज़ सम्मिलित है, ऐसे रोग के कोई लक्षण नहीं है।

(ख) जो कुतिया या बिल्ली गर्भावस्था की चरम स्थिति में हो उसका परिवहन नहीं किया जाए।

5. जो कुतिया या बिल्ली गर्भावस्था की चरम स्थिति में हो उसका परिवहन नही किया जाए।

6. (क) एक टिपारे में एक ही जाति/प्रजाति के कुत्ते-बिल्ली का परिवहन किया जाएगा।

(ख) दूध पीते पिल्ले या बिल्ली के बच्चे, उनकी माताओं के अलावा अन्य किसी वयस्क कुत्ते-बिल्ली के साथ परिवहन नही किया जाए।

(ग) जो कुतिया-बिल्ली गर्मी में हो उन्हें तर-कुत्तों या नर-बिल्लियों के साथ परिवहन नही किया जाए।

7. (क) काट खाने वाले या काट खाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले कुत्ते-बिल्लियों का पृथक पिंजरे में अकेले परिवहन किया जाए, वे काट न खाएं ऐसी व्यवस्था की जाये और उतारने-चढ़ाने वालों के लिए सावधानी बरतने का लेबल चिपकाया हुआ हो।

(ख) अतिरेकपूर्ण प्रकरणों में कुत्ते-बिल्लियों को योग्यताप्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा बेहोशी-प्रेरक दवा पिलाकर रखा जाए

8. जब कुत्ते, बिल्लियों को लंबी दूरी पर ले जाना हो-

(क) परिवहन के न्यूनम दो घंटे पूर्व–उन्हें खिला–पिला दिया गया हो और परिवहन के लिए उन्हें भूखा–प्यासा न बांध दिया गया हो।

(ख) परिवहन–रवानगी के तत्काल पूर्व तक उनको व्यायाम करवा दिया गया हो।

(ग) ठंड के दिनों में छः घंटों और गर्मी के दिनों में चार–चार घंटों के अन्तराल पर उन्हे पर्याप्य पानी दिया जाए।

(घ) वयस्क कुत्ते–बिल्लियों को 12 घंटों में कम से कम एक बार और अवयस्क और छोटे बच्चों को प्रत्येक चार घंटे में खिलाया जाए, और यदि भेजनेवाला इस संबंध में विशेष निर्देश करे तो उसका पालन हो।

(ङ) यात्रा के दौरान उनकी पूरी परवाह की व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रबंध किया जाए।

(2) जब कुत्ते–बिल्लियों का परिवहन 6 घंटे की यात्रा से अधिक के लिए रेलवे से होना है तब एक परिचारक उनके साथ चलना चाहिए जो रास्ते में उन्हें भोजन–पानी दे सके और वह हर स्टेशन पर उनसे संपर्क रख सके। कोई भी कुत्ता–बिल्ली यात्रा के दौरान तेज हवा के सामने न आने पाए।

9. जब कुत्ते–बिल्लियों का परिवहन कम दूरी पर सड़क मार्ग से होता हो और लोक–वाहन से हो रहा हो तब निम्नांकित सावधानियां बरतनी होगी:–

(क) वे एक पिंजरे में रखे जाएंगे और पिंजरा जिसमें कुत्ते–बिल्ली रखे हों, को वाहन की छत पर नहीं रखा जाएगा, अपितु वाहन के अन्दर रखा जाएगा और जहां तक संभव हो वाहन के पिछले छोर के पास रखा जाएगा।

(ख) कुत्ते–बिल्लियों का परिवहन करने वाला वाहन एक जैसी गीत से चलाया जाए, वाहन के अचानक रोकने को टाला जाए और झटकों और कूदकने के प्रभावों को कम से कम किया जाएगा।

(ग) न्यूनतम एक परिचारक यात्रा के दौरान रखा जाएगा जो यह देखे कि परिवहन–संबंधी अनुकूल व्यवस्थाओं का पालन हो रहा है और वह उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन–पानी भी देता रहे।

10. जब कुत्ते–बिल्लियों को हवाई जहाज से ले जाना हो–

(क) कुत्ते–बिल्लियों को उनमें रखने के पूर्व पिंजरों की अच्छी सफाई होनी चाहिए और उन्हे कीटाणु–मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

(ख) बिल्लियों के लिए आरामप्रद पर्याप्त घास–पुआल या लकड़ी का चूरा या कागज–कतरन की बिछावन होनी चाहिए।

(ग) अन्तरराष्ट्रीय परिवहन के लिए, कुत्तों–बिल्लियों को पृथक विशिष्ट विभाग में रखा जाए जिसमें हवा का दबाव व तापमान नियंत्रित हो।

11. कुत्ते और बिल्लियों के लिए टिपारे (क्रेट्स) इस माप व प्रकार के बने हो जो अनुसूचि – बी और अनुसूचि–सी में क्रमशः वर्णित माप व प्रकार से अधिकाधिक मेल खाते हों।

12. कुत्ते–बिल्लियों के सभी डिब्बों (कन्टेनर) पर स्पष्टतः भेजनेवाले का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (हो तो) अंकित होना चाहिए।

13. पाने वाले को रेल गाड़ी, अन्य वाहन या हवाई जहाज के पहुंचने का समय सूचित होना चाहिए, हवाई यात्रा क्रमांक और पहुँचने का समय उसे अग्रिम बताना चाहिए।

14. रेलवे या सड़क मार्ग से परिवहन के लिए पार्सल–बुक किए जाने वाले कुत्ते–बिल्लियों के कन्साइन्मेंट अगली ही यात्री (पेसेंजर) या डाक (मेल)गाड़ी या बस से भेजे जाने चाहिए और उन्हें परिवहन के लिए बुक कर लेने के बाद रोके नहीं रखना चाहिए।

अध्याय - 3
बन्दरों का परिवहन

15. नियम क्रमांक 16 से 23 तक के नियम सभी प्रकार के ऐसे बन्दरां के लिए लागू होंगे जो उनके पकड़े जानेवाले क्षेत्र से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक ले जाए जाने वाले हों।

16. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ एक वैध स्वास्थ्य प्रमाणपत्र रहेगा जो योग्यता-प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें उल्लेख हो कि पकड़े गए स्थान से लगाकर समीपस्थ रेलवे पहुंच-स्थान तक यात्रा करने के लिए उन बन्दरों की अच्छी स्थिति है और उन्हें किसी तरह का सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग नही है।

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में परिवाहक कन्साइन्मेंट को ग्रहण करने से इंकार करेगा।

(ग) यह प्रमाणपत्र अनुसूचि - डी के प्रारूप के अनुसार होगा।

17. (1) एक पकड़-क्षेत्र के बन्दरों को दूसरे पकड़-क्षेत्र के बन्दरों में नही मिलने दिया जाएगा जिससे छूआछूत के रोग को आपस में लगने से टाला जा सके।

(2) पकड़-क्षेत्र से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक की यात्रा न्यूनतम समय मे ंतय करनी होगी और बन्दरों को होने वाली परेशानी को न्यूनतम किया जाएगा।

(3) यदि यात्रा छः घंटों से अधिक की है तो बन्दरों को मार्ग में खिलाने-पिलाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) यात्रा के दौरान, बन्दरों को अतिरेकपूर्ण मौसमी दशा से बचाया जाएगा और जो बन्दर मार्ग में मर जाए उसका जहां तक अवसर मिले अविलंब निकाल किया जाएगा।

18. जो बन्दर स्तनपान की उम्र पार न कर चुके हो अर्थात् 1.8 किलोग्राम से कम वजन वाले है उन्हे केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा।

19. (क) गर्भवती और दूध-पिलाने वाली बन्दरियो का केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना परिवहन नहीं किया जाएगा।

(ख) गर्भवती और दूध-पिलाने वाली बन्दरियों तथा 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बन्दरों का पृथक पृथक खंडों वाले पिंजरों में परिवहन किया जाएगा।

20. एक पिंजरे में सभी बन्दर एक ही प्रजाति के और करीब समान वजन और आकार के रखे जाएं।

21. जो बन्दर उनके नैसर्गिक आवासों से पकड़े जाएं उन्हे नए, गरम-दवायुक्त पानी से धुले हुए (स्टेरेलाईज) और एकदम स्वच्च पिंजरों में रखा जाना चाहिए और यदि आगे अन्य पिंजरों मे अन्तरित करने हो तो वे पिंजरे भी वैसे ही स्वच्छ होने चाहिए।

22. पकड़े जाने के स्थान से समीपस्थ रेलवे-स्थान तक बन्दरों को शीघ्रगामी साधनों से पहुंचाया जाना चाहिए और यात्रा में उन्हे बिना देखरेख के नहीं रखा जाना चाहिए।

23.(1) (क) बन्दरों को लकड़ी या बांस के बने उपयुक्त पिंजरों में परिवहन करना चाहिए, पिंजरे ऐसे बने हो ताकि उनमें से बन्दर निकल नही पड़ें किंतु पर्याप्त हवा का आवगमन होता रहे।

(ख) पिंजरे के भीतर और बाहर कीलें, धातु के नुकीले सिरे, तीखे तुक्के नहीं निकले होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक पिंजरे में पर्याप्त पानी और भोजन रखनके के लिये उपयुक्त पात्र रखे होने चाहिए, उनमें से भोजन-पानी की रिसन न हो और यात्रा के दौरान उनकी सफाई और भोजन-पानी भरने का काम होते रहना चाहिए।

(2) पिंजरों की फर्श बांस की रीपों से बनी हो और एक रीप से दूसरी की दूरी 20 से 30 मि.मी. की हो।

(3) उठाने–रखने के लिए, इन पिंजरों के उपरी भाग के चारों कोनो पर रस्सी के बन्ध होने चाहिये।

(4) भरे हुए किसी पिंजरे का वजन 45 किलो से अधिक नही होना चाहिए।

(5) पिंजरों के आकार निम्नांकित दो प्रकार के होने चाहिए।

(क) 910x760x510 मिलीमीटर – 12 बन्दरों तक को रखने के लिए, जिनका वजन प्रत्येक का 1.8 से 3 किलोग्राम, या 10 बन्दरों तक के लिये जिनका प्रत्येक का वजन 3.1 से 5 किलोग्राम हो।

(ख) 710x710x510 मिलीमीटर – 10 बन्दरों तक रखने के लिए जिनका वजन प्रत्येक का 1.8 से 3 किलो या आठ बंदरों तक के लिए जिनका वजन 3.1 से 5 किलोग्राम तक हो।

प्रावधान है कि अनुसूचि एक मे वर्णित प्रकार के पिंजरों का उपयोग बन्दरों के पकड़ने के स्थान से रेलवे ... तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकेगा।

(6) इन दो प्रकार के पिंजरों का निर्माण अनुसूचि–इ में वर्णित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

24. नियम क्रमांक 25 से 32 तक, बन्दरों के ऐसे परिवहन पर लागू होंगे जो एक रेलवे– स्थान से दूसरे रेलवे स्थान तक या रेलवे – स्थान से समीपरथ हवाई–अड्डे तक ले जाए जाने है।

25. (क) चढ़ाना और उतारना अविलंब और दक्षतापूर्वक हो।

(ख) पिंजरों को इस प्रकार जमाना चाहिए कि उनमें पर्याप्त हवा आती रहे और बन्दरों को सीधी ठंडी या गरम हवा न सहनी पड़े।

(ग) जो बन्दर मार्ग में मर जाएं उनको उपयुक्त निकाल के लिये अविलंब हटाया जाना चाहिए।

26. परिवहन के पिंजरे नियम 23 के विवरणों वाले होने चाहिए।

27. (1) भेजनेवाले को यात्रा के लिए पर्याप्त खाने और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) यदि यात्रा 6 घंटों से अधिक की हो तो एक परिचारक अवश्य साध रहे जो रास्ते में बन्दरों को भोजन–पानी आदि दे सके और रास्ते में हर स्टेशन पर वह भोजन–पानी देने के लिए बन्दरों के पास जा सके, उन पर ध्यान भी दे सके।

(3) भोजन–पानी के डिब्बों की प्रत्येक छः घंटों में जांच होनी चाहिए और आवश्यक हो तो पुनः भरे जाने चाहिए।

(4) रात के समय बन्दरों को व्यवधान नहीं पहुंचाया जाएगा।

28. एक पिंजरों के उपर एक से अधिक पिंजरा नहीं रखा जाएगा और जब एक दूसरे पर रखा जाएगा तब दो पिंजरों के बीच में टाट की पेकिंग रखी जाएगी।

29. बन्दरों को हवाई अड्डे पर पर्याप्त समय पूर्व ले जाया जाएगा।

30. हवाई जहाज में चढ़ाने के तुरंत पूर्व बन्दरों को खिलाया–पिलाया जाएगा।

31. (क) पिंजरे पर भेजने वाले और पाने वाले का नाम, पता और फोन नंबर (यदि हो तो) बड़े स्पष्ट और लाल अक्षरों में लिखा रहेगा।

(ख) पाने वाले को सूचना दी जाएगी कि किस रेल गाड़ी से बन्दरों का कन्साइनमेंट भेजा गया है और रेल गाड़ी के पहुंचने का समय पहले से उसे बताया जाएगा।

(ग) बन्दरों के कन्साइनमेंट को परिवहन हेतु ग्रहण करने के बाद तुरंत उपलब्ध सवरी (पेसेन्जर) या डाक (मेल) गाड़ी से भेजा जाएगा और किसी तरह पड़ा नही रहने दिया जाएगा।

32. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ योग्यता प्राप्त पशु चिकित्सक का एक वैध स्वास्थ्य–प्रमाणपत्र लगाया जाएगा कि परिवहन किए जाने वाले बन्दर एक रेलेवे – स्थान से दूसरे रेलवे–स्थान या एक

रेलवे–स्थान से समीपस्थ हवाई अड्डे तक यात्रा करने के लिए पूर्णतः स्वस्थ–योग्य है और उन्हे किसी प्रकार का संक्रामक या छूत का रोग होने का कोई लक्षण नहीं है।

(ख) उक्त प्रमाणपत्र के अभाव में परिवाहक कन्साइनमेंट को ग्रहण करने से इन्कार कर देगा।

(ग) प्रमाणपत्र अनुसूचि–डी में वर्णित प्रारूप में होगा।

33. नियम क्रमांक 34 से 45 तक के नियम, बन्दरों के हवाई जहाज से परिवहन की दशा में लागू होंगी।

34. यात्रा का समय न्यूनतम हांगा और बन्दरों को परेशानी हो ऐसे कारण घटाकर न्यूनतम किए जाएं।

35. जो बन्दर स्तनपान की उम्र न पार कर–चुके हो, अर्थात् वजन में 1.8 किलोग्राम से कम हों उनका परिवहन केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नही किया जाएगा।

36. गर्भवती और दूध पिलाती बन्दरियों को केन्द्रीय सरकार की विशेष अनुमति के बिना परिवहन नही किया जाएगा। गर्भवती और दूध पिलाती बन्दरियों और 5 किलो से अधिक वजन वाले बन्दरों को विशेष आकार के पृथक पिंजरों में ही परिवहन किया जाएगा।

37. एक पिंजरों में सभी बन्दर एक ही प्रजाति के और करीब करीब समान वजन और समान आकार के भरे जाऐंगे।

38. (1) संक्रामक–रोग के खतरे की दृष्टि से, एक केबिन में या हवाई जहाज के एक विभाग में एक ही प्रजाति के बन्दरों का परिवहन किया जाएगा।

(2) प्रकटतः बीमार और विकलंग बन्दरों का, जिनके बाहरी घाव दिखाई देते हो या जिनके शरीर पर अन्य जीव–जन्तुओं का आक्रमण दिखाई देता हो उनका परिवहन नही किया जाएगा।

(3) पशुओं की अन्य प्रजातियों, चिड़ियों, मछली–आहार–तत्व या जहरीले पदार्थ, जैसे कीटनाशक, जन्तुनाशक उसी केबिन में या उस विभाग में परिवहन नहीं करने दिए जाएंगे।

39. (1) मालवाहक हवाई जहाज में बन्दरों को किसी भी समय बिना परिचारक की निगरानी के नहीं छोड़ा जाएगा।

(2) जब हवाई जहाज धरती पर हो तो न्यूनतम एक परिचारक प्रत्येक समय उपस्थित रहेगा।

40. (1) बन्दरों को लकड़ी के उपयुक्त पिंजरों में परिवहन करना चाहिए, जो ऐसे बने हों कि उनमें से बन्दर निकल न पड़े और उनमें पर्याप्त हवा का आवागमन होता हो। पिंजरे के भीतर और बाहर कोई कीले, धातु के नुकीले छोर, तीखे नुक्खे नही निकले हुए हो। प्रत्येक पिंजरे में पर्याप्त पानी और भोजन रखने के लिये ऐसे पात्र होने चाहिए, जिनमें से भोजन–पानी रिसता न हो और यात्रा के दौरान उनकी सफाई और भोजन–पानी पुनः पुनः भरने का काम होते रहना चाहिए। मल–मूत्र के लिये रखी गई तश्तरियों में नमी सोखने योग्य पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा आदि भरा जाना चाहिए।

(2) एक भरे हुए पिंजरे का कुल वजन किसी भी दशा में 45 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) निम्नांकित दो प्रकार के पिंजरे उपयोग के लिए जाएं

(क) 460x460x460 मिलीमीटर – जिसमें 1.8 से 3.0 किलोग्राम प्रत्येक वजन के 10 से अधिक बन्दर न रखे जाएं अथवा 3.10 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक वजन के चार बन्दरों से अधिक नही रखे जाएं; और

(ख) 760x530x460, मिलीमीटर – जिसमें 1.8 से 3.0 किलोग्राम वजन के 10 से अधिक बन्दर न रखें जाएं अथवा 3.1 से 5.0 किलोग्राम प्रत्येक वजन के आठ से अधिक बन्दर न रखे जाएं।

(4) इन दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण के विवरण अनुसूचि–एफ में दिए है।

(5) गर्भवती औरदूध पिलानेवाली बन्दरियों के परिवहन के लिए दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण–विवरण अनुसूची–जी में दिए है।

41. (क) पिंजरों पर भेजनेवाले और पानेवाले का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (यदि हो तो)स्पष्ट और लाल अक्षरों में लिखा हो।

(ख) जिस मालवाहक हवाई जहाज में बन्दरों का परिवहन किया जा रहा है उसकी उड़ान–संख्या और पहुंचने के समय की अग्रिम सूचना पानेवाले की दी जाएगी।

(ग) बन्दरों के कन्साइनमेंट को तुरन्त उपलब्ध अगे मालवाहक हवाई जहाज मे भेजा जाएगा और एक बार परिवहन के लिए ग्रहण कर लेने के बाद उसे रोककर नही रखा जाएगां

42. (1) बन्दरों के कन्साइनमेंट के साथ, योग्यता प्राप्त पशु चिकित्सक का एक वैध स्वास्थ्य प्रमाणप. भजा जाएगा जिसमें यह प्रमाणित होगा कि बन्दर हवाईयात्रा करने योग्य है और वे किसी प्रकार के सांसीर्गक या संक्रामक रोग के लक्षण नही दिखाते है।

(2) ऐसे प्रमाण–पत्र के अभाव में परिवाहक हवाईयात्रा के लिए उन्हे ग्रहण करने से इंकार कर देगा।

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुसूचि–डी में दिया गया हैं।

43. (1) (विमान के केबिन में) प्रत्येक घंटे में न्यूनतम 12 बार हवा बदली जाएगी, हवा की सीधी मार टाली जाएगी औग हवा–हीन खांचे नहीं रहने दिए जाएंगे।

(2) बन्दरों को जब भोजन–पानी दिया जाए उस समय को छोड़कर उन्हें आराम हेतु और वे आपस में न लड़े इस दृष्टि से मद–अंधेरे में रखा जाएगा जिससे वे विश्राम के पर्याप्त अवसर पा सकें।

44. भोजन और पानी के डिब्बे प्रत्येक विराम–स्थान पर देखे जाएंगे और आवश्यक हो तो पुनः भेरे जाएंगे और हवाई जहाज में तथा संभावित विराम–स्थलों पर पर्याप्त भोजन संग्रह उपलब्ध रहना चाहिए। टिप्पणी – एक बन्दर के लिए प्रतिदिन 85 ग्राम भोजन चाहिए। उपयुक्त भोजन में सूखा अनाज और चने हों। यह अनुशंसा है कि भोजन में पूरे चने के बिस्किट और पूरे गेहुं की डब्ल रोटी बनाकर दिये जाएं। एक बन्दर को 140 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन देना चाहिए।

45. जो बन्दर यात्रा में बीमार या घायल हो जाएं उन्हे रखने के लिये मालवाहक विमान में सामान्य माप के ऐसे खाली पिंजरें साथ रखे जायें जिनकी दीवारें ढकी हुई हों और जिनके उपरी हिस्से में 50 मिलीमीटर का एक पट्टा हवा के लिए खाली हो।

अध्याय – 4

मवेशियों का परिवहन

46. नियम क्रमांक 47 से 56 तक के अनयम गायों, बैलों, सांड़ों, भैंसों, याक और उनके बछड़ों (जिन्हे यहां इन नियमों में मवेशी कहा जाएगा) के रेल या सड़क से परिवहन पर लागू होगे।

47. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ, योग्यता प्राप्त पशु चिकित्सक का एक वैध प्रमाणपत्र रहेगा, जिसमें यह प्रमाणित हो कि ये मवेशी रेलवे या सड़क से परिवहन किए जाने योग्य है और उन्हे किसी प्रकार के सांसर्गिक रोग, संक्रामक रोग, और पशु संबंधी परजीवी कीड़ों का रोग नहीं है और उन्हे सांसर्गिक या संक्रामक और प्लेग के रोग–निवारण हेतु टीका लगाया जा चुका है।

(ख) उक्त प्रमाणपत्र के अभाव में परिवाहक कन्साइनमेंट को ग्रहण करने से इंकार कर देगा।

(ग) प्रमाणपत्र अनुसूचि–इ के प्रारूप में होगा।

48. प्रत्येक मवेशी–झुंड के साथ एक प्राथमिक पशु–चिकित्सा–सहायता साधनों का बक्सा होगा।

49. (क)प्रत्येक कन्साइनमेंट पर एक लेबल चिपका हो जिस पर स्पष्ट और बड़े लाल अक्षरों में भेजने वाले और पाने वाले के नाम, पते और फोर नंबर (यदि हो तो), परिवहन किए जा रहे मवेशियों का प्रकार व संख्या और दाना और भोजन जो रखा हुआ हो उसकी मात्रा अंकित हो।

(ख) पाने वाले को ट्रेन या अन्य वाहन जिसमें मवेशियों का परिवहन हो रहा हो उसके पहुंचने संबंधी अग्रिम सूचना दी जाए।

(ग) मवेशियों का कन्साइनमेंट अगली ही रेलगाडी अथवा परिवहन में बुक कर दिया जाए और मवेशियों को परिवहन हेतु ग्रहण करने (बुक करने) के बाद पटक कर नहीं रखा जाए।

50. रेलवे वेगन या वाहन मे ंप्रति मवेशी औसतन दो वर्गमीटर स्थान कम से कम होना चाहिए।

51. (क) वाहनों मे मवेशियों को चढ़ाने के लिए उपयुक्त रस्सियां और मचान/तख्ते होने चाहिए।

(ख) परिवहन जब रेलवे वेगन से हो तब वेगन का नीचे का पटकनी–दरवाजा प्लेटफॉर्म पर गिराकर मवेशियां का चढ़ाने–उतारने के लिए तख्ते के रूप में काम में लिया जाए।

52. मवेशियां को पर्याप्त खिलाने–पिलाने के बाद ही चढ़ाया जाएगा।

53. चरम गर्भावस्थावाले मवेशियों को जवान मवेशियों के साथ नही मिलाया जाए, जिससे परिवहन के समय धक्को से हानि को टाला जा सके।

54. (1) रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी और आपातकाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी साथ में ले जाया जाएगा।

(2) पर्याप्त दाना और घास की, उपयुक्त संग्रहण के साथ, इतनी व्यवस्था रखी जाएगी कि यात्रा के अन्त तक चले।

(3) पर्याप्त प्रकाश – वायु – संचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

55. जब मवेशियों का परिवहन रेलवे से हो–

(अ) बड़ी लाइन पर एक सामान्य मालवाहक डिब्बे (वेगन) में 10 वयस्क मवेशी या 15 बछड़े, छोटी लाइन पर 6 वयस्क या 10 बछड़े, नेरोगेज पर 4 वयस्क या 6 बछडों से अधिक मवेशी नहीं भरे और ले जाए जाएंगे।

(आ) मवेशियों के प्रत्येक वेगन में न्यूनतम एक परिचारक होगा।

(इ) डिब्बे में गाड़ी की पटरियां के समानान्तर और उनके मुँह एक–दूसरे के सामने रहे ऐसी रीति से मवेशियों को भरा जाए।

(ई) फर्श पर पराल (घासफूस) की न्यूनतम 6 से.मी. मोटी परत बिछाई जाए जिससे यदि मवेशी नीचे गिर पड़े तो उसे क्षति नहीं पहुंचे।

(उ) यात्रा में मवेशियों का भोजन डब्बे के बीच के हिस्से में रखा जाए।

(ऊ) पर्याप्त प्रमाण में हवा–प्रकाश के लिए डिब्बे के एक तरफ का उपर का दरवाजा, लटकता न रहे ऐसे, खुला रखा जाए। उस उपर के दरवाजे में तार की जाली लगी हो और वह पास–पास ऐसी निर्मित गूंथी हुई होनी चाहिए कि कभी एंजिन से चिनगारी निकले तो डिब्बे मे पहुंचकर आग न लग जाए।

(ए) मवेशियों के डिब्बे गाडी के मध्य–भाग में जोड़े जाएं।

(ऐ) डिब्बे में भोजन पकाने की अनुमति नही होगी और बिना चिमनी के दिया नही जलाया जायेगा।

(ओ) डिब्बे में छाती तक की उंच्चाई के बराबर दोनों और सलिए लगे हों, एक सलिया फर्श से 60 से 80 से.मी. की उच्चाई पर और दूसरा 100 से 110 से.मी. की उंच्चाई पर लगा हो।

(औ) दूध दे रहे मवेशी को दिन में कम से कम दो बार दुहना होगा और बछड़ा को पर्याप्त मात्रा में दूध पीने दिया जाएगा।

(अं) जहां तक संभव हो, मवेशियों का परिवहन रात में ही किया जाए।

(अः) दिन के समय, संभव हो तो उन्हें नीचे उतरा जाए, खिलाया–पिलाया और आराम कराया जाए और दुधारू हों तो दूध निकाला जाए।

56. जब मवेशि वाहन (ट्रक या टेंपो) द्वारा परिवहन किए जाने वाले हो तो निम्नांकित सावधानियां बरती जानी चाहिएः–

(क) अक विशिष्ट प्रकार की फिटिंग वाली हो जिसमें पिछला पटिया विशेष प्रकार का हो और अन्दर चारों दीवारों/सतहों पर पेडिंग लगे हुए हों।

(ख) सामान्य ट्रकों में ऐसी व्यवस्था हो कि फर्श पर फिसलन न हो ऐसे पदार्थ डले हो जैसे टाट पट्टियां बिछी हों या लकड़ी का फर्श हो और उपर का ढांचा यदि नीचा हो तो उसे उंचा करना होगा।

(ग) किसी भी ट्रक मं छः मवेशी से अधिक नही भरे जाएंगे।

(घ) प्रत्येक ट्रक में न्यूनतम एक परिचारक होगा।

(ङ) जब मवेशियों का परिवहन हो रहा हो तो ट्रक में अन्य माल या सामान नहीं होना चाहिए।

(च) पशु घबराकर परेशान न हो या क्षतिग्रस्त न हों, अतः उनका मुंह वाहन के एंजिन की ओर रहना चाहिए।

प्रकरण – 5

घोड़ों वगैरह का परिवहन

57. नियम क्रमांक 57 से 63 तक के नियम घोड़ों, खच्चरों, गधों (जिन्हे इन नियमों में घोड़ा–प्रजाति कहा जाएगा) को रेलवे, सड़क मार्ग या जल मार्ग से परिवहन पर लागू होंगे।

58. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ योग्यताप्राप्त पशु–चिकित्सक का एक वैध प्रमाणपत्र लगा हो जिससे यह प्रमाणित हो कि ये घोड़ा–जाति पशु रेलवे, सड़क या जलमार्ग से परिवहन करने योग्य है और उनहें कोई सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग नहीं लगे हुए है।

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में परिवाहक कन्साइनमेंट ग्रहण करने से इंकार करेगा।

(ग) प्रमाणपत्र अनुसूचि – 1 के प्रारूप में होगा।

59. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट में एक लेबल लगा होगा जिसमें स्पष्ट बड़े और लाल अक्षरों में भेजने वाले और पाने वाले के नाम, पते और टेलीफोन नंबर (यदि हो तो), घोड़ा–प्रजाति के पशुओं की संख्या और प्रकार और भोजन खुराक की मात्रा अंकित हो।

(ख) पानेवले को कन्साइनमेंट वाली रेलगाड़ी, ट्रक या जहाज और उसके पहुंचने के समय संबंधी अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए।

(ग) इन घोड़े आदि पशुओं की बुकिंग अगली ही ट्रेन, ट्रक या जहाज में हो जानी चाहिए और परिवहन के लिए ग्रहण करने के बाद इन्हें पटककर नही रखना चाहिए।

60. (क) गर्भवती और बछड़ों को अन्य पशुओं के साथ मिलाना नही चाहिए।

(ख) घोड़ा प्रजाति वाले इन पशुओं की भिन्न भिन्न प्रजाति वालों को अलग–अलग रखना चाहिए।

(ग) इन पशुओं को चढ़ाने के पूर्व उनकी पर्याप्त खिलाई–पिलाई हो जानी चाहिए, मार्ग के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और पर्याप्त भोजन यात्रा के अन्त तक चले उतना साथ चलना चाहिए।

(घ) पशुओं के प्रत्येक खेप के साथ पशु–चिकित्सा का प्राथमिक–उपचार–साधन का बक्सा रहना चाहिए।

(ङ) पर्याप्त हवा–प्रकाश सुनिश्चित होना चाहिए।

(च) पशुओं को चढ़ाने, उतारने के लिए उपयुक्त पटिए और मचान/तख्ते होने चाहिए और जहां नही हो वहां कामयोग्य पटियों की व्यवस्था तो होना ही चाहिए।

61. घोड़ा प्रजाति के पशुओं के रेल से परिवहन में निम्नांकित सावधानियां बरती जाएं।

(क) इन पशुओं को सवारी या मिश्रित रेलगाड़ी में परिवहन करना चाहिए।

(ख) सामान्य माल–डिब्बों में, बड़ी लाइन हो तेा 8 से 10 घोड़े या दस खच्चर या दस गधे एक डिब्बे में और यदि छोटी लाइन हो तो छः घोड़े या आठ गधों से अधिक नहीं ले जाए जाने चाहिए।

(ग) भयंकर गर्मी में इन पशुओं वाले डिब्बों के उपर रेलवे प्रशासन द्वारा पानी की बौछार की जानी चाहिए जिससे तापमान गिर जाए और यदि योग्यता प्राप्त पशु–चिकित्सक अनुसंशा करे तो डिब्बे में बर्फवाले टिपारे रखे जाने चाहिए।

(घ) ऐसे प्रत्येक डिब्बे में जिसमें दो से अधिक पशु हो, दो परिचारक न्यूनतम होने चाहिए।

(ङ) घोड़ों आदि को रेल–पटरियों के समानान्तर, एक दूसरे के अपने–सामने खड़ा रखना चाहिएं

(च) फर्श पर बासफूस की न्यूनतम 6 से.मी. की तह जमानी चाहिए जिससे यदि पशु फर्श पर गिरे तो घायल न हो।

(छ) पर्याप्त प्रमाण में हवा–प्रकाश के लिए डिब्बे के एक तरफ का उपर का दरवाजा, लटकता न रहे ऐसे, खुला रखा जाए। उस उपर के दरवाजे में तार की जाली लगी हो और वह पास–पास ऐसी निर्मित गूंथी हुई होनी चाहिए कि कभी एंजिन से चिनगारी निकले तो डिब्बे में पहुंचकर आग न लग जाए।

(ज) डिब्बे में छाती तक की उंच्चाई के बराबर दोनों ओर सलिए लगे हो, एक सलिया फर्श से 50 से 80 से.मी. की उंच्चाई पर और दूसरा 110 से.मी. की उंच्चाई पर लगा हो।

62. इन घोड़ों आदि का परिवहन यदि मालवाहक–ट्रक द्वारा हो तो निम्नांकित सावधानियां बरती जानी चाहिए।

(क) विशिष्ट रूप से फिटिंगवाले ट्रक हो जिनमें पीछे का पटिया विशेष प्रकार का हो और ट्रक की चारों दीवारों पर पेडिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(ख) सामान्य ट्रकों में, फिसलन रोके ऐसे पदार्थ फर्श पर बिछाए जाएं और उपर का ढांचार यदि नीचा हो तो उंच्चा किया जाए।

(ग) न्यूनतम 8 से.मी. व्यास वाला बांस प्रत्येक पशु के बीच में लगा हो और दो पक्के बांस के खंभे पीछे लगे हों जिससे ये पशु गिर न पड़े।

(घ) घोड़े चमके/घबराएं नही या घायल न हों इस हेतु उन्हे ऐसे बांधें कि रास्ते पर आतेजाते वाहनों की ओर उनका मंह न रहे और उनका रूख बांयी तरफ रहे।

(ङ) किसी ट्रक में चार से छः से अधिक घोड़े प्रजाति के पशु नही ले जाये जा सकते है।

(च) प्रत्येक ट्रक मे एक परिचारक होना चाहिए।

(छ) ये ट्रक प्रति घंटा 35 किलोमीटर से अधिक गति से नहीं चलाए जाए।

63. इन घोड़ों आदि के जल मार्ग द्वारा परिवहन में निम्नांकित सावधानियां बरती जाएः

(क) सामान्यतः घोड़ों को एक–एक अलग–अलग पिंजरे में और खच्चरों को ऐसे कोढ़े (पेन) में रखे जाएं जिनमें चार–पांच खच्चर आ सके।

(ख) (जहाज के) सभी डेको में पर्याप्त हवा–प्रकाश के लिए छोटे गोल छेद हो, स्थायी हवादान या बिजली के पंखे हों तथा दूषित हवा बाहर फेंकने के लिए भी वैसे पंखे लगे हो।

(ग) पशुओं को जहाज के भीतरी हिस्से में और मुंह भी भीतरी भाग में रखकर खड़े किए जाए।

(घ) घोड़ों आदि को परेशानी न हो इसके लिए और विशेषतः गर्मी में, जहाज में माल भरते ही यात्रा चालू हो जाए और यात्रा पूरी होते ही घोड़ों आदि को तुरंत पहले उतार लेना चाहिए।

(ङ) बछेड़े, बछेड़ी खुले डेक पर रखे जाएं।

(च) घोड़ों आदि के लिए जहाज पर दवाखाना होना चाहिए और घोडों की संख्या के 5 प्रतिशत के जितनों के लिए अतिरिक्त पिंजरे (स्टाल) की व्यवस्था होनी चाहिए।

(छ) कोढों (पेन) की दो पंक्तियों के बीच न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

अध्याय - 6

भेड़ बकरों का परिवहन

64. नियम क्रमांक 65 से 75 तक के नियम रेलवे और सड़क मार्ग से 6 घंटों से अधिक अवधि की यात्रा वाले भेड़-बकरों के परिवहन पर लागू होगे।

65. (क) योग्यता प्राप्त पशु-चिकित्सक का वैध प्रमाणपत्र प्रत्येक कन्साइनमेंट के साथ होगा जिसमें यह प्रमाणित हो कि भेड़-बकरे रेलवे या सडक से परिवहन करने योग्य है और उन्हें किसी प्रकार का सांसर्गिक या संक्रामक या परजीवी जीवाणुओं का रोग नही हो रहा है।

(ख) उक्त प्रमाणपत्र के अभाव में परिवाहक कन्साइनमेंट को परिवहन करने के लिए ग्रहण करने से इंकार करेगा।

(ग) प्रमाणपत्र अनुसूचि-जे के प्रारूप में होगा।

66. (क) प्रत्येक कन्साइनमेंट पर एक लेबल लगा होगा जिसमें बड़े स्पष्ट लाल अक्षरों में भेजने वाले और पाने वाले के नाम, पते, फोन नंबर (यदि हो तो), और भेड़-बकरों के प्रकार व संख्या और भोजन-खुराक की मात्रा जो रखी हो, उन सबका उल्लेख होगा।

(ख) जिनमें भेड़-बकरों के कन्साइनमेंट जा रहे हो उस ट्रेन या ट्रक की जानकारी और पहुंचने के समय की अग्रिम सूचना पाने वाले को दी जानी चाहिए।

(ग) भेड़-बकरों के कन्साइनमेंट ग्रहण करने पर तुरंत अगली ही ट्रेन या ट्रक में परिवहन हेतु बुक कर देना चाहिए और पटक कर नही रखना चाहिए।

67. (क) यात्रा के दौरान भेड़-बकरों के साथ प्रथम - उपचार साधन का बक्सा रहना चाहिए।

(ख) भेड़-बकरों को चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त पटिया रहना चाहिए।

(ग) जब परिवहन रेलगाड़ी द्वारा हो तो वेगन (डिब्बे) के नीचे खुलने वाले दरवाजे को प्लेटफोर्म पर पटक कर चढ़ाने-उतारने के पटिए के रूप में काम मे लेना चाहिए।

68. भेड़ और बकरियों को पृथक-पृथक परिवहन करना चाहिए परन्तु झुंड छोटा हो तो दोनों को अलग रखने के लिए डिब्बे/वाहन में विशेष विभाजक रखने चाहिए।

69. छोटे और युवान भेड़-बकरों को मादा-भेड़ बकरियों के साथ, एवकसहही डिब्बे में, नही मिलाना चाहिए।

70. पर्याप्त भोजन और भूसा आदि यात्रा के अन्त तक चले इतना साथ चलना चाहिए और नियमित अन्तरालों परपानी की सुविधा मिलनी चाहिए।

71. फर्श पर बिछावन के लिए घास-भूसा न्यूनतम 5 से.मी. का मोटा थर बन`इतना डाला जाए जिससे कोई भेड़-बकरी गिर पड़े तो घायल न हो।

72. भेड़-बकरों को बांधा नही जाए जब तक कि उनके वाहन से बाहर कूद पड़ने की आशंकार न हो और उनके पैर नहीं बांधे जाएं।

73. एक बकरे के लिए उतनी ही जगह की आवश्यकता हागी जितनी कि एक ऊनवाली भेड़ को लगती है और एक रेलवे के डिब्बे या ट्रक में भेड़ों के लिये करीब निम्नांकित जगह होनी चाहिए –

प्राणियों का अंदाजन वजन किलोग्राम में	**वर्ग मीटर में आवश्यक जगह**	
	उनवाले भेड़ के लिये	**उन कटे हुए भेड़ के लिये**
20 से अधिक नही	0.18	0.16
20 से अधिक पर 25 से अधिक नही	0.20	0.18
25 से अधिक पर 30 से अधिक नही	0.23	0.22
30 से अधिक	0.28	0.26

74. (क) किसी भी रेलवे वेगन (डिब्बे) में भेड़–बकरियों की निम्नांकित संख्या से अधिक का समावेश नही करेः

बड़ी लाईन		**छोटी लाइन**		**नेरो लाइन**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.1 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफलवाला डिब्बा	21.1 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफलवाला डिब्बा	12.5 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफलवाला डिब्बा	12.5 से अधिक क्षेत्रफलवाला डिब्बा	
70	100	50	60	25

(ख) पर्याप्त प्रमाण में हवा–प्रकाश के लिए डिब्बे के एक तरफ का उपर का दरवाजा, लटकता न रहे ऐसे, खुला रखा जाए। उस उपर के दरवाजे में तार की जाली लगी हो और वह पास–पास ऐसी निर्मित गूंथी हुई होनी चाहिए कि कभी एंजिन से चिनगारी निकले तो डिब्बे में पहुंचकर आग न लग जाए।

75. (1) सामान्यतः पशुओं को ढोनेवाले 5 या 4.5 टन की क्षमता वाले ट्रकों में 40 भेड़–बकरों से अधिक नही ले जाये जाएंगे।

(2) बड़े ट्रकों में और रेल के डिब्बों में प्रत्येक दो या तीन मीटर के अंतराल पर चौड़ाई में विभाजक लगे हों जिससे किसी एक जगह भीड़ न हो जाये और पशु एक–दूसरे में अलग न जाएं।

(3) छः सप्ताह से कम आयुवाले भेड़ बकरे, मेमने अलग कोनों/क्षेत्रों में रखकरले जाए जाएं।

1. अनुसूची – ए

(नियम 4 देखें)

कुत्ते – बिल्लियों के परिवहन – योग्यता का प्रमाण पत्र –प्रारूप

(यह प्रमाणपत्र योग्यता प्राप्त पशु–चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित होना चाहिए)

परीक्षण का दिनांक और समय _____

कुत्ते/बिल्लियों की प्रजाति _____

पिंजरों की संख्या _____ कुत्ते/बिल्लियों की संख्या _____

लिंग _____ आयु _____

प्रजाति/वंश और पहचान–चिन्ह यदि हो तो _____

परिवहन _____ (कहां) से _____ (कहां) तक वाया _____

मैं यहां प्रमाणित करता हूँ कि मैने (पशु–क्रूरता निवारण) पशु–परिवहन नियम, 1978 के अध्याय दो के नियम 8 से 14 तक पढ़ लिए है।

1. यह कि, (भेजनेवाले)_____ के निवेदन पर मैने, यात्रा हेतु छूटने के 12 घंटों से अनधिक समय पर उक्त वर्णित कुत्ते/बिल्लियों का उनके यात्रा–पिंजरों में परीक्षण किया है।

2. यह कि प्रत्येक कुत्ता/बिल्ली यात्रा करने योग्य स्थिति में लगा, कोई चोट का निशान नहीं और किसी को कोई सांसर्गिक या संक्रामक या रेबीस के रोग के निशान नहीं है और ये रेलवे/सड़क/अभ्यांतर जलमार्ग/समुद्रीमार्ग/हवाई मार्ग से यात्रा योग्य है।

3. यह कि कुत्ते/बिल्लियों की यात्रा की दृष्टि से पर्याप्त खिलाई–पिलाई कर दी गई है।

4. यह कि कुत्ते/बिल्लियों का टीकाकरण हो चुका है।
   (क) टीके (वेक्सीन) का प्रकार :
   (ख) टीकाकरण का दिनांक :

सही/– _____

पता : _____

_____

_____

योग्यता : _____

दिनांक _____

2. अनुसूची- बी

(नियम 11 देखें)

कुत्ते के परिवहन के लिए पिंजरे का आकार प्रकार

पशु–परिवहन नियम 1978 के अध्याय 2 (दो) के नियम 11 में वर्णित पिंजरे की डिझाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आईएस - 4746–1968 के पृष्ठ 7 पर प्रकाशित डिझाइन के अनुसार होगी।

सारे माप से.मी. में

रेल/सड़क/भीतरी जलमार्ग/समुद्र/हवाई जाहज से

लंबाई	(एल)	एx1.5	ए+सी+10
चौड़ाई	(डब्ल्यू)	ए	डी+2+10
उंचाई	(एच)	बी+15	बी+0

लंबाई – नाक की नोक से पूंछ के मूल तक (ग)

चौड़ाई – कंधों के बीच की चौड़ाई (डी)

उंचाई – खड़ा हो तब कान की नोक से पांव के अंगूठे तक (बी)

कोहनी का माप – कोहनी की नोक से पांव के अंगूठे तक (सी)

टिप्पणी : कुत्तों के परिवहन के लिए काम मे आने वाले पिंजरे या टिपारे या डब्बे ऐसी सामग्री के बने हों कि वे आसानी से फटे–टूटे नहीं। वे अच्छी प्रकार से निर्मित हों, उनमें पर्याप्त हवा–प्रकाश मिले और ऐसी डिझाईन से बने हों कि कुत्तों को पर्याप्त जगह और सुरक्षा मिले जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। तार की जाली ऐसी हो कि उनके पंजों और नाक को क्षति नहीं पहुंचे। उपयुक्त तारः 3 मि.मी. की मोटाई के तार 12x12 मि.मी. की दूरी पर जालीनुमा गुंथे हों। इसके लिए चपटी धातु की पट्टियों की जाली उपयुक्त नही है। कोई कीलें या तार के कोने बाहर निकलते हुए नहीं होने चाहिए। गाड़ी के डिब्बे में कुत्तों के ये पिंजरे ऐसे स्थान पर रखे जाएं कि कुत्तों का भयंकर गर्मी और चिड़ियों से बचाव हो और उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जगह और सुरक्षा मिले।

3. अनुसूचि – सी

(नियम 11 देखें)

बिल्लियों के परिवहन के लिए पिंजरे का आकार प्रकार

पशु–परिवहन नियम 1978 के अध्याय 2 (दो) के नियम 11 में वर्णित पिंजरे की डिज़ाइन भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित IS - 4746–1968 के पृष्ठ 8 पर प्रकाशित डिझाइन के अनुसार होगी।

सारे माप से.मी. में

रेल/सड़क/भीतरी जलमार्ग/समुद्र/हवाई जाहज से

लंबाई	(एल)	एx2	एx2
चौड़ाई	(डब्ल्यू)	ए	ए
उच्चाई	(एच)	बी+15	बी+10

लंबाई – नाक की नोक से पूंछ के मूल तक (ए)

चौड़ाई – कंधों के बीच की चौड़ाई (डी)

उंच्चाई – खड़ा हो तब कान की नोक से पांव के अंगूठे तक (बी)

कोहनी का माप – कोहनी की नोक से पांव के अंगूठे तक (सी)

टिप्पणी : बिल्लियों के परिवहन के लिए काम मे आने वाले पिंजरे या टिपारे या डब्बे ऐसी सामग्री के बने हों कि वे आसानी से फटे–टूटे नहीं। वे अच्छी प्रकार से निर्मित हों, उनमें पर्याप्त हवा–प्रकाश मिले और ऐसी डिझाईन से बने हों कि कुत्तों को पर्याप्त जगह और सुरक्षा मिले जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। तार की जाली ऐसी हो कि उनके पंजों और नाक को क्षति नहीं पहुंचे। उपयुक्त तारः 3 मि.मी. की मोटाई के तार 12x12 मि.मी. की दूरी पर जालीनुमा गुंथे हों। इसके लिए चपटी धातु की पट्टियों की जाली उपयुक्त नही है। कोई कीलें या तार के कोने बाहर निकलते हुए नहीं होने चाहिए। गाड़ी के डिब्बे में कुत्तों के ये पिंजरे ऐसे स्थान पर रखे जाएं कि कुत्तों का भयंकर गर्मी और चिड़ियों से बचाव हो और उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जगह और सुरक्षा मिले।

4. अनुसूची- डी

(नियम 16 और 32 देखें)

प्रारूप : बन्दरों को हो जाने के लिए स्वस्थ-स्थिति प्रमाण पत्र

(यह प्रमाणपत्र योग्यता प्राप्त पशु-चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित होना चाहिए)

परीक्षण का दिनांक और समय _____

बन्दरों की प्रजाति _____

पिंजरों की संख्या _____

बंदरों की संख्या _____

लिंग _____ आयु _____

प्रजाति/वंश और पहचान के निशान यदि हों तो _____

परिवहन _____ (कहां) से _____ (कहां) तक वाया _____

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने पशु-परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 3 (तीन) के नियम 15 से 45 तक का अध्ययन कर लिया है।

1. यह कि, (भेजनेवाले)_____ के निवेदन पर मैने उक्त वर्णित बन्दरों का उनके पिंजरों में, रवानगी से 12 घंटे-पूर्व के अन्दर निरीक्षण किया।
2. यह कि ये बन्दर पकड़क्षेत्र से निकटतम रेलवे स्थान/निकटतम रेलवे स्थान से अन्य रेलवे स्थान/रेलवे स्थान से निकटतम हवाई अड्डे (हवाई यात्रा हो तो) तक यात्रा करने हेतु स्वस्थ स्थिति में पाए गए और इन्हें किसी प्रकार का सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग नहीं दिखाई देता है।
3. यह कि, कोई भी बन्दर 6 माह से कम आयु का नही दिखा और कोई बन्दरी गर्भवती नहीं दिखी।
4. यह कि, बन्दरों को यात्रा हेतु पर्याप्त खिला-पिला दिया गया है।
5. यह कि बन्दरों का टीकाकरण हो गया है।
   (क) टीके (वेक्सीन) का प्रकार :
   (ख) टीकाकरण का दिनांक :

सही/- _____

पता : _____

_____

_____

योग्यता : _____

दिनांक _____

5. अनुसूची- ई

(नियम 23 (5) (अ) और 23 (6) देखें)

पकड़-क्षेत्र से निकटतम रेलवे-स्थान तक बन्दरों के परिवहन के लिए पिंजरों के आकार प्रकार

पशु-परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 3 (तीन) के नियम 23 (5)(अ) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के {Z_m©- {ddaU, ^maVr` _mZH$ g§ñWmZ Ûmam àH$m{eV IS : 3699 (भाग-1) - 1966 के पृष्ठ 5 पर निर्दिष्ट विस्तरण और डिज़ाइन के अनुरूप होंगे।

6. अनुसूची - एफ

(नियम 40 (4) देखें)

बन्दरों के हवाई जहाज से परिवहन हेतु पिंजरे का आकार-प्रकार

पशु-परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 3 (तीन) के नियम 40 (3)(अ) तथा (आ) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण-विवरण, भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित IS : 3059-1965 के पृष्ठ 6 पर निर्दिष्ट विस्तरण और डिज़ाइन के अनुरूप होंगे।

6. अनुसूची - जी

(नियम 40 (5) देखें)

गर्भवती और रतनपान कराने वाली बन्दरियों और 5 किलो से अधिक वजनी बन्दरों के हवाई जहाज से परिवहन हेतु पिंजरों के आकार-प्रकार

पशु-परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 3 (तीन) के नियम 40 (5) में वर्णित दो प्रकार के पिंजरों के निर्माण-विवरण, भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित IS : 3059-1965 के पृष्ठ 7 पर निर्दिष्ट विस्तरण और डिज़ाइन के अनुरूप होंगे।

8. अनुसूची – एच

(नियम 47 देखें)

मवेशियों की यात्रा हेतु स्वस्थ्यता–प्रमाण पत्र का प्रारूप

(प्रमाणपत्र योग्यता प्राप्त पशु–चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित हो)

परीक्षण का दिनांक और समय _____

मवेशियों की प्रजाति _____

ट्रकों/रेलवे–डिब्बों (वेगनों) की संख्या _____

मवेशियों की संख्या _____

लिंग _____ आयु _____

प्रजाति/वंश और पहचान के निशान यदि हों तो _____

परिवहन (कहां) _____ से _____ (कहां) तक वाया _____

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने पशु–परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 4 (चार) के नियम 46 से 56 तक का अध्ययन कर लिया है।

1. यह कि, (भेजनेवाले)_____ के निवेदन पर मैने उक्त वर्णित मवेशियों का ट्रक/रेलवे डिब्बे (वेगन) में, रवानगी से 12 घंटे पूर्व के अन्दर परीक्षण किया।
2. यह कि प्रत्येक मवेशी रेलवे/सड़क से यात्रा करने की स्वस्थ–स्थिति में है और किसी को भी किसी सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग के कोई लक्षण किया दिखाई दिए और इन्हें पशु–संबंधी चर्मरोग और अन्य सांसर्गिक और संक्रामक रोग–विरोधी टीके लगाए जा चुके है।
3. यह कि, यात्रा के लिए, पशुओं की पर्याप्त खिलाई–पिलाई हो चुकी है।
4. पशुओं का टीकाकरण हो चुका है।
   (क) टीके (वेक्सीन) का प्रकार :
   (ख) टीकाकरण का दिनांक :

हस्ताक्षर _____

पता : _____

_____

_____

योग्यता : _____

दिनांक _____

9. अनुसूची – आई

(नियम 58 देखें)

घोड़ों आदि पशुओं की यात्रा की स्वस्थ–स्थिति का प्रमाणपत्र प्रारूप

(यह प्रमाणपत्र योग्यता प्राप्त पशु–चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित हो)

परीक्षण का दिनांक और समय _____

घोड़ों–गधों–खच्चरों की प्रजाति _____

घोड़ों–गधों–खच्चरों की संख्या _____

लिंग _____ आयु _____

प्रजाति/वंश और पहचान के निशान यदि हों तो _____

परिवहन (कहां) _____ से _____ (कहां) तक वाया _____

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने पशु–परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 5 (पाँच) के नियम 57 से 64 का अध्ययन कर लिया है।

1. यह कि, (भेजनेवाले)_____ के निवेदन पर मैने उक्त वर्णित घोड़ों–गधों–खच्चरों का रवानगी से 12 घंटे पूर्व के अन्दर परीक्षण किया।
2. यह कि प्रत्येक पशु (घोड़ा–गधा–खच्चर) रेलवे/सड़क/समुद्री मार्ग से यात्रा करने की स्वस्थ–स्थिति में है। किसी को कोई सांसर्गिक रोग या सस्रामक रोग के कोई लक्षण नही दिखाई दिए और इन्हें सांसर्गिक रोग या संक्रामक रोग के टीके लगाए जा चुके है।
3. यह कि, इन घोड़ों आदि को यात्रा के लिए पर्याप्त खिला–पिला दिया गया है।
4. इन्हें टीका लगा दिया गया है।
   (क) टीके (वेक्सीन) का प्रकार :
   (ख) टीकाकरण का दिनांक :

हस्ताक्षर _____

पता : _____

_____

_____

योग्यता : _____

दिनांक _____

10. अनुसूची – जे

(नियम 65 देखें)

भेड़–बकरों की यात्रा की स्वस्थ स्थिति का प्रमाणपत्र प्रारूप

(यह प्रमाणपत्र योग्यता प्राप्त पशु–चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित हो)

परीक्षण का दिनांक और समय _____

पशुओं की प्रजाति _____

पशुओं की संख्या _____

लिंग _____ आयु _____

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने पशु–परिवहन नियम, 1978 के अध्याय 6 (छः) के नियम 64 से 75 का अध्ययन कर लिया है।

1. यह कि, (भेजने वाले)_____ के निवेदन पर मैने उक्त वर्णित पशुओं का रवानगी से 12 घंटे पूर्व के अन्दर परीक्षण किया।
2. यह कि प्रत्येक पशु रेलवे/सड़क से यात्रा करने की स्वस्थ–स्थिति में है। किसी को कोई सांसर्गिक रोग या सस्रामक रोग के कोई लक्षण नही दिखाई दिए और इन्हें सांसर्गिक रोग या संक्रामक अथवा परजीवी कीड़ों के रोग विरोधी टीके लगाए जा चुके है।
3. यह कि, इन पशुओं को यात्रा के लिए पर्याप्त खिला–पिला दिया गया है।
4. इन्हें टीका लगा दिया गया है।
   (क) टीके (वेक्सीन) का प्रकार :
   (ख) टीकाकरण का दिनांक :

हस्ताक्षर _____

पता :_____

_____

_____

योग्यता :_____

दिनांक _____